न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 58 / 2020
निर्णय दिनांकः– 04.02.2021

उनवान

1. हेमराज पुत्र हरिनारायण जाति मीणा निवासी अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. मथूरा देवी पुत्री रत्तीराम जाति मीणा निवासी अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री हरिराजसिंह वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 145 ख0न0 कुल किता 24 कुल रकबा 14.66 है0 एवं खाता संख्या 142 कुल 3 कुल रकबा 4.35 वाके ग्राम अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है।

प्रार्थीगण नम्बर 1 का सही एवं वास्तविक नाम हेमराज पुत्र हरिनारायण है। प्रार्थीया नम्बर 2 का सही नाम मथूरा देवी पुत्री रतिराम है। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात में अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण नम्बर 1 का नाम सहवन से किसी स्थान पर लखपत पुत्र हरनारायण अंकित कर दिया गया है तथा प्रार्थीया नम्बर 2 का नाम काली पुत्री रतिराम अंकित कर दिया गया है। जबकि प्रार्थीगण नम्बर 1 का सही एवं वास्तविक नाम हेमराज पुत्र हरिनारायण एंव प्रार्थीया नम्बर 2 का सही नाम मथूरा देवी पुत्री रतिराम है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के गलत दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीगण को उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विकय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्राथीगण की अधियाचना है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 145 ख0न0 कुल किता 24 कुल रकबा 14.66 है0 एवं खाता संख्या 142 कुल 3 कुल रकबा 4.35 वाके ग्राम अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थीगण नम्बर 1 का नाम लखपत पुत्र हरनारायण के स्थान पर हेमराज पुत्र हरिनारायण तथा है। प्रार्थीया नम्बर 2 का नाम काली पुत्री रतिराम के स्थान पर मथूरा देवी पुत्री रतिराम अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

s.136.10

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम अल्लापुरा के खाता संख्या 145 ख0न0 कुल किता 24 कुल रकबा 14.66 है0 एवं खाता संख्या 142 कुल 3 कुल रकबा 4.35 है0 में लखपत पुत्र हरनारायण एवं काली पुत्री रतिराम रेकार्ड दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान व जाँच से लखपत पुत्र हरनारायण एंव हेमराज पुत्र हरिनारायण एक ही व्यक्ति है। तथा मथूरा देवी पुत्री रतिराम के संबंध में सहखातेदारान 1. बृजराज पुत्र रामगोपाल मीना, 2. मांगी देवी पुत्री रतिराम मीना, 3. भरतलाल पुत्र हरिनारायण मीना, 4. शंकर पुत्र हरिनारायण मीना, 5. रामस्वरूप पुत्र रामगोपाल मीना, 6 बद्री पुत्र रामगोपाल मीना निवासीयान अल्लापुरा ने स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश किया कि काली पुत्री रतिराम व मथूरा देवी पुत्री रतिराम दोनो एक ही महिला है। राजस्व रिकार्ड में काली पुत्री रतिराम के स्थान पर मथूरा देवी पुत्री रतिराम दर्ज करने पर हमें कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 खाता संख्या 145 ख0न0 कुल किता 24 कुल रकबा 14.66 है0 एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 खाता संख्या 142 कुल 3 कुल रकबा 4.35 है0 वाके ग्राम अल्लापुरा तहसील उनियारा में प्रार्थीगण के नाम लखपत पुत्र हरनारायण व काली पुत्री रतिराम जाति मीणा साकिन अल्लापुरा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशनकार्ड में प्रार्थीगण नम्बर 1 का नाम हेमराज पुत्र हरिनारायण एंव प्रार्थीया नम्बर 2 नाम मथूरा देवी पुत्री रतिराम दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम अल्लापुरा के खाता सं0 145 व 142 में प्रार्थीगण नम्बर 1 का नाम हेमराज पुत्र हरिनारायण एंव प्रार्थीया नम्बर 2 का नाम मथूरा देवी पुत्री रतिराम दर्ज करने की अभिशंषा की गई है। एवं सहखातेदारान द्वारा प्रार्थीया नम्बर 2 का नाम काली पुत्री रतिराम के स्थान पर मथूरा देवी पुत्री रतिराम दर्ज करने पर हमें कोई आपत्ति नही है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह खाता संख्या 145 ख0न0 कुल किता 24 कुल रकबा 14.66 है0 एवं खाता संख्या 142 कुल 3 कुल रकबा 4.35 वाके ग्राम अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज **प्रार्थीगण न0 1 का नाम लखपत पुत्र हरनारायण के स्थान पर लखपत उर्फ हेमराज पुत्र हरिनारायण एवं प्रार्थीया नम्बर 2 नाम काली पुत्री रतिराम के स्थान पर काली उर्फ मथूरा देवी पुत्री रतिराम** दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था व किसी व्यक्ति का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित को सूचित करने के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ।

यह निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

s.136.102